



भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

DEPUTY GENERAL MANAGER
NORTHERN REGIONAL OFFICE

SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2024/33810/1
Oct 25, 2024

श्री राजेश कुमार शर्मा/ Shri Rajesh Kumar Sharma
डीआईएन: 01731816/ DIN: 01731816
48, मो मोहताशिम खान, पीलीभात, 48, Moh Mohtashim Khan, Pilibhat,
उत्तर प्रदेश - 271001 भारत/ Uttar Pradesh - 271001, India

विषय: मिलानी टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के मामले में सुनवाई की सूचना
Sub: Notice of Hearing in the matter of Milani Techno Engineering Limited

1. कृपया उपरोक्त विषय वस्तु में दिनांक 06 जून, 2024 का कारण बताओ नोटिस देखें।
Please refer to the show cause notice dated June 06, 2024 in the captioned subject matter.

उसी के संदर्भ में, मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि न्याय के हित में, आपको सीजीएम (श्री जी रामर), अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण (क्यूजेए) के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है, जो नवंबर 25, 2024 प्रातः 11:30 बजे को निर्धारित है निम्नलिखित स्थान पर:

सेबी भवन II, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400051

With reference to the same, I am directed to inform that in the interest of justice, you have been granted an opportunity of personal hearing, before the CGM (Shri G Ramar), Quasi-Judicial Authority (QJA), which is scheduled on **November 25, 2024 from 11:30 AM** at the following venue:

SEBI Bhavan II, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400051

2. आप सुनवाई की उक्त निर्धारित तिथि से पहले विस्तृत उत्तर/अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतिकरण दाखिल कर सकते हैं।
You may file detailed reply/additional written submission before the said scheduled date of hearing.

3. यदि आप उपरोक्त तिथि पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपके पास इस मामले में बताने के लिए और कुछ नहीं है और मामले को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
In case you fail to appear before the Competent Authority on the aforesaid date, it shall be presumed that you have nothing further to state in the matter and the matter will be proceeded with on the basis of material available on record.

“हम हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करते हैं।”



**भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India**

4. आप व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए अधिकृत व्यक्ति अपने पहचान पत्र की मूल के साथ-साथ फोटो कॉपी और नोटिस प्राप्तकर्ता के पैन के साथ मूल प्राधिकरण पत्र भी लाएं।
You may appear for the hearing personally or through your authorized representative. Please ensure that person(s) authorized to appear for hearing bring original as well as photo copy of their Identity Card and the original Authorization Letter along with PAN of the Noticee.
5. आपको इस नोटिस की प्राप्ति की सूचना देनी होगी और आप gyanendran@sebi.gov.in and haria@sebi.gov.in पर पत्र या ई-मेल के माध्यम से सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सुनवाई के लिए उपस्थित होने वाले अधिकारियों/प्रतिनिधियों के नाम और पदनाम की पुष्टि करनी होगी।
You are required to acknowledge the receipt of this notice and confirm the name of official(s) / representative(s) with designation(s) appearing for the hearing at least three days before the hearing date by way of a letter or e-mail at the address – gyanendran@sebi.gov.in and haria@sebi.gov.in.
6. कृपया ध्यान दें कि आप Webex का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि सुनवाई में भाग लेने के लिए वेबएक्स लिंक साझा करने के लिए अपना ईमेल/मोबाइल नंबर साझा करें
Please note you may also attend the hearing through Video conferencing using Webex. You are requested to share your email / mobile number so as to share the Webex link for attending the hearing.

ज्ञानेन्द्र नीरज